

क्रमांक-- 4214 / 27 / 2017
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल-462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 17/04/2018

प्रति,

- (1) समस्त मुख्य अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
..... (म0प्र0)
- (2) समस्त अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मण्डल
..... (म0प्र0)
- (3) समस्त कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
..... (म0प्र0)

विषय :-

मध्य प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थिति केन्द्र/राज्यों के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्रोत पर की जाने वाली कटौती के संबंध में।

संदर्भ :-

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4214/27/2017, दिनांक 22.07.2017 एवं 29.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं. 1468/1947/2017/1/पांच, दिनांक 22 जून 2017 एवं क्रं. एफ ए 3-60/2017/1/पांच, दिनांक 06.09.2017 की छायाप्रति सहपत्रों सहित प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्रों के साथ संलग्न वाणिज्यकर विभाग के पत्र 22 जून 2017 में जी.एस.टी. में पंजीयन की प्रक्रिया उल्लेखित थी, जिसके अनुसार समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पंजीयन आवश्यक रूप से कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अभी तक जी.एस.टी. पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है।

अतएव तत्काल पंजीयन प्राप्त करने की कार्यवाही करें।

Ravi 13.04.18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग भोपाल
भोपाल, दिनांक 17/04/2018

पृष्ठांकन क्रमांक 4214 / 27 / 2017

प्रतिलिपि :-

वेब मैनेजर विश्व बैंक परियोजनाएँ भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईड पर पत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित।

Ravi 13.04.18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग भोपाल.

“कुशवाहा”